न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–52/2018 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. प्रेमी पत्नि नारू जाट निवासी नयाखेड़ा (लाखोला) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. रोशनलाल आत्मज रामलाल जाट निवासी नयाखेड़ा (लाखोला) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. किशनलाल गोदपुत्र मांगु जाट नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता श्रीमती कंकु बेवा मांगु जाट निवासी नयाखेड़ा (लाखोला) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 5.11.2019

वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नयाखेड़ा पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 02 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 51 में अंकित आराजी संख्या 2157 रकबा 0.22 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी में मुझ वादीया का 1/2 हिस्सा निहित है तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का राजस्व रेकार्ड में अंकितानुसार निहित है। भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 संयुक्त खोतदारी से दर्ज रिकार्ड है अतः वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दो मौके पर हिस्सा अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अडचन आती है के हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई।

वादीया अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही उभयपक्ष बहस सुनी गई अधिवक्तावादीया ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। अतः प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिंक डिकी किया गया आदेश तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु वादीया अधिवक्ता उपस्थित। वादीया अधिवक्ता को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिकी जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

प्रकरण संख्या :–52/2018 र0 वाद
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

–:आदेश:–

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. प्रेमी पत्नि नारू जाट सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
2157/1	0.11
कुल किता 1	**कुल 0.11 हे0**

2. रोशनलाल पिता रामलाल 1/2 किशनालाजल ना0बा0 गोदपुत्र मांगु व0बि0 कंकु 1/2 जाट सा0देह खातेदार रहनः– आई0सी0आई0 बैंक लाखोला हि0 रोशनलाल पर

आ0नं0	रकबा
2157/2	0.11
कुल किता 1	**कुल 0.11 हे0**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकने अपना–अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्वर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर भीलवाड़ा (राज0)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–52/2018 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. प्रेमी पत्नि नारू जाट निवासी नयाखेड़ा (लाखोला) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. रोशनलाल आत्मज रामलाल जाट निवासी नयाखेड़ा (लाखोला) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. किशनलाल गोदपुत्र मांगु जाट नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता श्रीमती कंकु बेवा मांगु जाट निवासी नयाखेड़ा (लाखोला) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 05.11.2019

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत, पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.11.2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. प्रेमी पत्नि नारू जाट सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
2157/1	0.11
कुल किता 1	कुल 0.11 हे0

2. रोशनलाल पिता रामलाल 1/2 किशनालाजल ना0बा0 गोदपुत्र मांगु ब0बि0 कंकु 1/2 जाट सा0देह खातेदार रहनः– आई0सी0आई0 बैंक लाखोला हि0 रोशनलाल पर

आ0नं0	रकबा
2157/2	0.11
कुल किता 1	कुल 0.11 हे0

अतः उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 05.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.11.20 12:29:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: